

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उडसरिया आर.ए.एस.

संख्या : 54/2024

विवरण :

1. नोरंगराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।

:-वादी

बनाम

1. कमला पत्नी रामप्रताप जाति जाट निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
2. कृष्णा पुत्री नानूराम जाति जाट निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
3. किशनाराम पुत्र नानुराम जाट निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
3. गिरदावरी पत्नी जयसिंह जाति जाट निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
5. जिलेसिंह पुत्र नानुराम जाति जाट निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
6. दाखा पत्नी नानुराम जाति जाट निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
7. बिमला पुत्री नानुराम जाति जाट निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
8. मदनलाल पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
9. मनीराम पुत्र केशरा जाति जाट निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
10. महावीर पुत्र केशरा जाति जाट निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
11. लालचन्द पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
12. शकुन्तला पुत्री जयसिंह जाति जाट निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
13. सन्दीप कस्वा पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
14. सुमन कस्वा पुत्री जयसिंह जाति जाट निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
15. सिलोचना पुत्री नानुराम जाति जाट निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
16. हरिसिंह पुत्र मंगला जाति जाट निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
17. आरएमजीबी शाखा अनूपशहर जरिये शाखा प्रबंधक।
18. भारतीय स्टेट बैंक शाखा जरिये शाखा प्रबंधक।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:-प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुन्शीराम गोस्वामी तथा वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र मील व विनोद सिंगाठिया की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादभूमि में रोही मौजा अनूपशहर के खाता संख्या 124/155 के खसरा नं० 39 की 2.0610 है०, खसरा नं० 46 की 12.077 है०, खसरा नं० 55 की 12.457 है०, खसरा नं० 670 की 13.6560 है० कुल खसरा 4 की कुल 40.253 है० वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज



राजस्व रिकार्ड है। उक्त वादभूमि में वादी अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार गिरदावरी भूमि का अच्छी मन्दी के हिसाब से खाता विभाजन चाहा है जिसका विभाजन प्रस्ताव किया जाकर तहसीलदार भादरा द्वारा मुताबिक अपनी रिपोर्ट व मय रगंदार नक्शा तहसीलदार भादरा के पत्रांक भू.अ./25/531 दिनांक 20.06.2025 को विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्षकारान को सुना गया। वकील वादी तथा वकील प्रतिवादीगण ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की। अतः तहसीलदार भादरा के द्वारा रोही मौजा अनूपशहर का प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारान खाता व लगान निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है:-

विभाजन : रोही मौजा अनूपशहर

मौजा पुत्र मंगला जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन आरएमजीबी शाखा अनूपशहर :- रोही मौजा अनूपशहर ख0न0 670 की 3.035 है0 ख0न0 55 की 1.437 है0 कुल किता 2 रकवा 4.472 है0 बारानी।

कमला पत्नी रामप्रताप, लालचन्द, मदनलाल पि0 रामप्रताप 1/8 हिस्सा, गिरदावरी पत्नी जयसिंह, सन्दीप कस्वां, शकुन्तला, सुमन कस्वां पि0 जयसिंह 1/8 हिस्सा, मनीराम, महावीर पि0 केशरा 1/4 हिस्सा, हरिसिंह पुत्र मंगला 1/8 हिस्सा, दाखा पत्नी नानूराम, किशनराम, जिलेसिंह, कृष्णा, विमला, सिलोचना पि0 नानूराम 3/8 हिस्सा जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन कमला, लालचन्द, मदनलाल आरएमजीबी शाखा अनूपशहर, गिरदावरी, सन्दीप, शकुन्तला, सुमन एसबीआई शाखा भादरा, मनीराम, हरिसिंह पीएनबी शाखा भादरा, महावीर एसबीआई शाखा मूर्ति चौक भादरा :- रोही मौजा अनूपशहर ख0न0 39 सम्पूर्ण 2.061 है0, खसरा संख्या 46 सम्पूर्ण 12.077 है0, खसरा संख्या 55 की 11.02 है0, खसरा संख्या 670 की 10.623 है0 योग किता 4 रकवा 35.781 है0 बारानी।

किसी भी खातेदार का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो विभाजन के बाद रहन संबंधित काश्तकार के संबंधित हिस्से पर शिफ्ट किया जावे। तहसीलदार राजस्व भादरा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को पर्चा डिक्री का भाग पढ़ा जावे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10.4.25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



Datta
(निधि उड़सरिया)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ

खातालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उडुसरिया आर.ए.एस.

क्रमांक : 54/2024

बतः

1. नौरंगराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।

:—वादी

बनाम

1. कमला पत्नी रामप्रताप जाति जाट निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
2. कृष्णा पुत्री नानुराम जाति जाट निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
3. किशनाराम पुत्र नानुराम जाट निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
3. गिरदावरी पत्नी जयसिंह जाति जाट निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
5. जिलेसिंह पुत्र नानुराम जाति जाट निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
6. दाखा पत्नी नानुराम जाति जाट निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
7. बिमला पुत्री नानुराम जाति जाट निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
8. मदनलाल पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
9. मनीराम पुत्र केशरा जाति जाट निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
10. महावीर पुत्र केशरा जाति जाट निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
11. लालचन्द पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
12. शकुन्तला पुत्री जयसिंह जाति जाट निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
13. सन्दीप कस्वा पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
14. सुमन कस्वा पुत्री जयसिंह जाति जाट निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
15. सिलोचना पुत्री नानुराम जाति जाट निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
16. हरिसिंह पुत्र मंगला जाति जाट निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
17. आरएमजीवी शाखा अनूपशहर जरिये शाखा प्रबंधक।
18. भारतीय स्टेट बैंक शाखा जरिये शाख प्रबंधक।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:—प्रतिवादीगण

दावा बाबत : खाता विभाजन

अन्तर्गत धारा 53 राज0काश्त0अधि 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी : वादी

वकील श्री सुरेन्द्र मील : प्रतिवादी सं0 8

वकील श्री विनोद सिंगाठिया : प्रतिवादी सं0 18



निर्णय

दिनांक: 10.9.25

संक्षेप में दावा के तथ्य इस प्रकार हैं कि रोही मौजा अनूपशहर के खाता संख्या 124/155 के खसरा न0 39 की 2.0610 है0, खसरा न0 46 की 12.077 है0, खसरा न0 55 की 12.457 है0, खसरा न0 670 की 13.6580 है0 कुल खसरा 4 की कुल 40.253 है0 वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादभूमि की किस्म, कारस्त, वंटाई एवं रास्ता आदि को लेकर पक्षकारान में विवाद बना रहता है। इसलिए वादी वादभूमि का कब्जा कारस्त के अनुसार जोत विभाजन करवाकर वादी अपने हिस्से की भूमि अलग से टक कायम करवाकर उस पर अपना पृथक से कब्जा प्राप्त कर उसका अपने नाम अलग से खाता कायम करवाने का एवं वादी के विभाजित हिस्सा तक आवगमन के लिए रास्ते का अंकन करवाने का कानूनी अधिकारी है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं० 8, 18 जरिये वकील हाजिर आए। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7, 9 ता 17 वावजूद तामील के उपस्थित नहीं आये उनके विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण ने अच्छी मंती के हिसाब से खाता विभाजन का प्रस्ताव तैयार करवाने पर अपनी सहमति दर्ज की।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पक्षकारान मुताबिक वाहमी बंटवारा के उनके दी गई भूमि पर कायम करते आ रहे हैं। उसी अनुसार अच्छी मंती के हिसाब से खाता लगान अलग अलग कायम किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण मे वादी ने रोही मौजा अनूपशहर के खाता संख्या 124/155 के खसरा न० 39 की 2.0610 है०, खसरा न० 46 की 12.077 है०, खसरा न० 55 की 12.457 है०, खसरा न० 670 की 13.6580 है० कुल खसरा 4 की कुल 40.253 है० वादभूमि वादी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वादभूमि में वादी अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिरसा अनुसार खातेदारी भूमि का अच्छी मन्दी के हिसाब से खाता विभाजन चाहा जिसका विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर तहसीलदार भादरा द्वारा मुताबिक अपनी रिपोर्ट व पत्रांक भूअ./25/531 दिनांक 20.06.2025 को विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्षकारान को सुना गया। वकील वादी तथा वकील प्रतिवादीगण ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की। अतः तहसीलदार भादरा के द्वारा रोही मौजा अनूपशहर का प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारान खाता व लगान निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है:-

विभाजन : रोही मौजा अनूपशहर

नोरंग पुत्र मंगला जाति जाट सा० देह खातेदार राहिन आरएमजीबी शाखा अनूपशहर :- रोही मौजा अनूपशहर ख०न० 670 की 3.035 है० ख०न० 55 की 1.437 है० कुल किता 2 रकवा 4.472 है० बारानी।

कमला पत्नी रामप्रताप, लालचन्द, मदनलाल पि० रामप्रताप 1/8 हिस्सा, गिरदावरी पत्नी जयसिंह, सन्दीप कस्वां, शकुन्तला, सुमन कस्वां पि० जयसिंह 1/8 हिस्सा, मनीराम, महावीर पि० केशरा 1/4 हिस्सा, हरिसिंह पुत्र मंगला 1/8 हिस्सा, दाखा पत्नी नानूराम, किशनराम, जिलेसिंह, कृष्णा, बिमला, सिलोचना पि० नानूराम 3/8 हिस्सा जाति जाट सा० देह खातेदार राहिन कमला, लालचन्द, मदनलाल आरएमजीबी शाखा अनूपशहर, गिरदावरी, सन्दीप, शकुन्तला, सुमन एसबीआई शाखा भादरा, मनीराम, हरिसिंह पीएनबी शाखा भादरा, महावीर एसबीआई शाखा मूर्ति चौक भादरा :- रोही मौजा अनूपशहर ख०न० 39 सम्पूर्ण 2.061 है०, खसरा संख्या 46 सम्पूर्ण 12.077 है०, खसरा संख्या 55 की 11.02 है०, खसरा संख्या 670 की 10.623 है० योग किता 4 रकवा 35.781 है० बारानी।

किसी भी खातेदार का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो विभाजन के बाद रहन संबंधित काशतकार के संबंधित हिस्से पर शिफ्ट किया जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.9.25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Signature)

(निधि उड़सरिया)RAS

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)

भादरा, जिला हनुमानगढ़